

बिहार सरकार
योजना एवं विकास विभाग

पत्रांक:
प्रेषक,

यो0ब02/1-01/2025- 168641/यो0वि0,पटना,दिनांक 10 मार्च, 2025

हिमांशु कुमार राय,
विशेष सचिव,

सेवा में,

अनीपचारिक रूप से
परामर्शित

द्वारा:-

विषय:

महालेखाकार (ले0 एवं ह0),
वीरचन्द्र पटेल पथ,बिहार, पटना।
वित्त विभाग, बिहार, पटना।

वित्तीय वर्ष 2024-25 में माँग सं0-35 के विपत्र कोड 35-2052000900010 के विषय शीर्ष-0101- वेतन, 0103-जीवन यापन भत्ता, 0104- मकान किराया भत्ता, 0105-परिवहन भत्ता एवं 0106-चिकित्सा भत्ता, में कुल ₹ 26,00,000/- (छब्बीस लाख) रुपये राशि के पुनर्विनियोग से प्राप्त राशि की स्वीकृति।

आदेश:

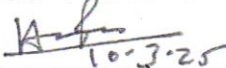
बिहार वित्तीय नियमावली भाग (I) के नियम-489 के अनुपालन में स्वीकृत।

वित्तीय वर्ष 2024-25 में विपत्र कोड-35-2052000900010 के विषय शीर्ष 0107-अन्य भत्ता में 1,10,000/- (एक लाख दस हजार रुपये) एवं विपत्र कोड 35-2053000940007 के विषय शीर्ष 0107-अन्य भत्ता में 24,90,000/- (चौबीस लाख नब्बे हजार रुपये), अर्थात् कुल ₹ 26,00,000/- (छब्बीस लाख) रुपये राशि की बचत होने के फलस्वरूप, विपत्र कोड-35-2052000900010 के विषय शीर्ष-0101- वेतन में ₹ 14,25,000/- (चौदह लाख पच्चीस हजार) रुपये, 0103-जीवन यापन भत्ता में ₹ 7,60,000/- (सात लाख साठ हजार) रुपये, 0104- मकान किराया भत्ता में ₹ 2,80,000/- (दो लाख अस्सी हजार) रुपये 0105-परिवहन भत्ता में ₹ 1,10,000/- (एक लाख दस हजार) रुपये तथा 0106-चिकित्सा भत्ता ₹ 25,000/- (पच्चीस हजार) अर्थात् कुल ₹ 26,00,000/- (छब्बीस लाख) रुपये राशि संलग्न पशिष्ट-1 के अनुसार पुनर्विनियोग से प्राप्त राशि की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

अनुलग्नक :

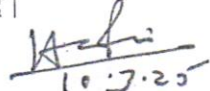
यथोक्त।


(हिमांशु कुमार राय)
विशेष सचिव

ज्ञापांक:
प्रतिलिपि:

यो0ब02/1-01/2025- 168641/यो0वि0,पटना,दिनांक 10 मार्च, 2025
(1)वित्त विभाग, बजट शाखा/ससूचन शाखा, बिहार, पटना।

✓आई0टी0 मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को निदेश दिया जाता है कि इस स्वीकृति को विभाग के साईट पर अपलोड कर दें।


10.3.25
विशेष सचिव
योजना एवं विकास विभाग
बिहार, पटना